

**Government of Haryana**  
**HOME DEPARTMENT**  
**NOTIFICATION**

The 21/4 / 2017

No. 1/101/2010-1HC :- Whereas the Governor of Haryana considers it expedient that precautions shall be taken to prevent the entry of unauthorized persons into certain places:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923(Central Act 19 of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, notification No. S.O. 1788, dated the 19<sup>th</sup> May, 1967, published in the Government of India Gazette dated 27<sup>th</sup> May, 1967, the Governor of Haryana hereby declares the places specified in column 1 of the Schedule given below to be a prohibited place for the purposes of the said Act namely:-

**SCHEDULE**

<u>Name of Prohibited Place</u>	<u>Locality and other description</u>
1	2
1. <b>Sub Station SV-4 (Sectionalizing Valves).</b> Total Area 0.625Acre/2530 sq. mtrs "This area is sanctionalizing Station of Dadri-Panipat RLNG Gas Pipeline under NRPL Panipat. The sanctionalizing valves are provided for handling emergencies in the Pipeline by limiting the disaster due to spill out of Petroleum Product". Village - Dehra, Tehsil - Panipat, District - Panipat, Haryana	Village -Dehra, Tehsil- Panipat District- Panipat, Haryana
2. <b>Sub Station SV-5 (Sectionalizing Valves).</b> Total Area 0.625Acre/2530 sq. mtrs "This area is sanctionalizing Station of Dadri-Panipat RLNG Gas Pipeline under NRPL Panipat. The sanctionalizing valves are provided for handling emergencies in the Pipeline by limiting the disaster due to spill out of Petroleum Product". Village - Diwana, Tehsil - Panipat, District - Panipat, Haryana	Village - Diwana, Tehsil - Panipat District - Panipat, Haryana
3. <b>Sub Station SV-6 (Sectionalizing Valves).</b> Total Area 0.625Acre/2530 sq.mtrs "This area is sanctionalizing Station of Dadri-Panipat RLNG Gas Pipeline under NRPL Panipat. The sanctionalizing valves are provided for handling emergencies in the Pipeline by limiting the disaster due to spill out of Petroleum Product". Village - Binjhol, Tehsil - Panipat, District - Panipat, Haryana.	Village - Binjhol, Tehsil - Panipat District- Panipat, Haryana

4. **Sub Station SV-46 (Sectionalizing Valves),**  
Total Area 0.25 Hectare/2580 sq. Mtrs  
"This area is sectionalizing  
Station of Mumbai Manmad-Bijwasan  
Gas Pipeline under Bharat Petroleum  
Corporation Ltd. Piyala Pipeline Terminal,  
Faridabad. The sectionalizing  
valve is provided for handling  
emergencies in the Pipeline by  
limiting the disaster due to spill  
out of Petroleum Product".  
Village - Khambi,  
Tehsil -Hodal,  
District - Palwal, Haryana

Village - Khambi, Tehsil - Hodal  
District - Palwal, Haryana

Ram Niwas  
Additional Chief Secretary  
to Government Haryana, Home Department

Dated 31/3/2017

Endst. No. 1/101/2010-1HC

Dated Chandigarh, the

A copy of the same is forwarded to the Controller, Printing and Stationary,  
Haryana for publication in the Government Gazette (Extraordinary) and 150 copies thereof be  
supplied to the Home Department immediately.

*Jasbir Singh*  
Under Secretary, Home(C)  
for Additional Chief Secretary  
to Government Haryana, Home Department

Endst. No. 1/101/2010-1HC

Dated Chandigarh, the 21-4-2017

A registered copy to forwarding to the following for information & necessary

action:-

1. Sh. Yogesh Vijay, Chief Operations Manager, Indian Oil Corporation Limited,  
Northern Region-Pipelines, P.O. Panipat Refinery, Baholi, Panipat-132140 w.r.t your  
office letter No. NRPL/PNP/Statutory/114 dated 04.04.2016.
2. Sh. Bibhor Raitani, Assistant Manager (ROU) Pipelines, Bharat Petroleum Corporation  
Ltd. Piyala Pipeline Terminal Village - Piyala, Post Office - Aasoti, Tehsil-  
Ballabhgarh, Distirct - Faridabad, Haryana.
3. The Director General of Police, Haryana
4. All the District Magistrate in Haryana.
5. The Incharge of Sectionalizing Volves, SV-4, Village- Dehra, Tehsil- Panipat, District-  
Panipat, Haryana.
6. The Incharge of Sectionalizing Volves, SV-5, Village - Diwana, Tehsil - Panipat,  
District-Panipat, Haryana.
7. The Incharge of Sectionalizing Volves, SV-6, Village - Binjhol, Tehsil - Panipat,  
District - Panipat, Haryana.
8. The Incharge of Sectionalizing Volves, SV-46, Village - Khambi, Tehsil - Hodal,  
District-Palwal, Haryana
9. ALR-cum-Under Secretary (Law) to the Government of Haryana.
10. The Technical Officer, IT Cell, Home Department, Haryana. (in Home-IV Branch).

*Jasbir Singh*  
Under Secretary, Home(C)  
for Additional Chief Secretary  
to Government Haryana, Home Department

हरियाणा सरकार  
गृह विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 21/4, 2017

संख्या-1/101/2010-1एच.सी.-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल के विचार में आया है कि कतिपय स्थानों में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए पूर्वोपय किये जाने समीचीन हैं;

इसलिए, अब भारत सरकार राजपत्र दिनांक 27 मई, 1967 में प्रकाशित, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, अधिसूचना संख्या का आ. 1788, दिनांक 19 मई, 1967 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 19), की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट स्थानों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

स्थान का नाम	परिक्षेत्र तथा अन्य विवरण
1	2
1. <b>उप स्टेशन, एस. वी-4.</b> (अनुभाग स्वीकृत वाल्व) कुल क्षेत्रफल 0.625 एकड़/2530 वर्ग मीटर 'यह क्षेत्र दादरी-पानीपत आरएलएनजी गैस पाइपलाइन पर स्थित एनआरपीएल पानीपत के तहत स्वीकृत स्टेशन है'। स्वीकृत वाल्व पेट्रोलियम उत्पादों को बाहर फैलने के कारण आपदा को सीमित करने हेतु, पाईप लाईनों में आपदा स्थितियों को रोकने के लिए उपलब्ध करवाया गया है। गांव - देहरा, तहसील-पानीपत, जिला- पानीपत।	गांव - देहरा, तहसील-पानीपत, जिला- पानीपत।
2. <b>उप स्टेशन, एस. वी-5.</b> (अनुभाग स्वीकृत वाल्व) कुल क्षेत्रफल 0.625 एकड़/2530 वर्ग मीटर 'यह क्षेत्र दादरी-पानीपत आरएलएनजी गैस पाइपलाइन पर स्थित एनआरपीएल पानीपत के तहत स्वीकृत स्टेशन है'। स्वीकृत वाल्व पेट्रोलियम उत्पादों को बाहर फैलने के कारण आपदा को सीमित करने हेतु, पाईप लाईनों में आपदा स्थितियों को रोकने के लिए उपलब्ध करवाया गया है। गांव -दीवाना, तहसील-पानीपत, जिला- पानीपत।	गांव- दीवाना, तहसील-पानीपत, जिला- पानीपत।
3. <b>उप स्टेशन, एस. वी-6.</b> (अनुभाग स्वीकृत वाल्व) कुल क्षेत्रफल 0.625 एकड़/2530 वर्ग मीटर 'यह क्षेत्र दादरी-पानीपत आरएलएनजी गैस पाइपलाइन पर स्थित एनआरपीएल पानीपत के तहत स्वीकृत स्टेशन है'। स्वीकृत वाल्व पेट्रोलियम उत्पादों को बाहर फैलने के कारण आपदा को सीमित करने हेतु, पाईप लाईनों में आपदा स्थितियों को रोकने के लिए उपलब्ध करवाया गया है। गांव- बिंझोल, तहसील-पानीपत, जिला- पानीपत।	गांव- बिंझोल, तहसील-पानीपत, जिला- पानीपत।

4. उप स्टेशन, एस. वी-46, (अनुभाग स्वीकृत वाल्व)  
कुल क्षेत्रफल 0.25 हैक्टेयर/2580 वर्ग मीटर  
यह क्षेत्र मुंबई-मनमाड-बिजवासन गैस  
पाइपलाइन पर स्थित भारत पेट्रोलियम  
कारपोरेशन लि० पियाला पाईप लाईन ट्रमिनल,  
तहसील- बल्लबगढ़ जिला- फरीदाबाद  
के तहत स्वीकृत स्टेशन है। स्वीकृत वाल्व  
पेट्रोलियम उत्पादों को बाहर फैलने के कारण  
आपदा को सीमित करने हेतु, पाईप लाईनों  
में आपदा स्थितियों को रोकने के लिए उपलब्ध  
करवाया गया है।  
गांव - खाम्बी, तहसील-होडल,  
जिला- पलवल।

गांव- खाम्बी, तहसील-होडल,  
जिला- पलवल।

दिनांक 31-03-2017

राम निवास  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
गृह विभाग चण्डीगढ़।

संख्या-1/101/2010-1एच.सी.

चण्डीगढ़ दिनांक

इसकी एक प्रति कन्ट्रोलर, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को इस  
आग्रह के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त उधिसूचना को हरियाणा सरकारी राजपत्र (असाधारण) में  
प्रकाशित किया जाए और उसके उपरान्त इसकी 150 प्रतियां गृह विभाग को तुरन्त उपलब्ध करवाई जाएं।

जसवीर नेह

अवर सचिव, गृह (सी.)  
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव,  
हरियाणा सरकार, गृह विभाग

संख्या-1/101/2010-1एच.सी.

चण्डीगढ़ दिनांक 21-4-2017

- इसकी एक पंजीकृत प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-
1. श्री योगेश विजय, मुख्य परिचालन प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तरी  
क्षेत्र- पाईपलाईंस, पी. ओ. पानीपत रिफाइनरी, बहोली, पानीपत।
  2. श्री विभोर रैतानी, सहायक प्रबंधक, (आर.ओ.यु)- पाईपलाईंस, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन  
लिमिटेड, पियाला पाईप लाईन ट्रमिनल, गांव पियाला, तहसील- बल्लबगढ़ जिला-  
फरीदाबाद।
  3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकूला।
  4. हरियाणा के सभी जिला न्यायाधीश।
  5. अनुभागिय प्रभारी वाल्व, एस. वी-4, गांव- देहरा, तहसील-पानीपत, हरियाणा।
  6. अनुभागिय प्रभारी वाल्व, एस. वी-5, गांव-दीवाना, तहसील-पानीपत, हरियाणा।
  7. अनुभागिय प्रभारी वाल्व, एस. वी-6, गांव-बिंझोल, तहसील-पानीपत, हरियाणा।
  8. अनुभागिय प्रभारी वाल्व, एस. वी-46, गांव-खाम्बी, तहसील-होडल, जिला- पलवल,  
हरियाणा।
  9. ए.एल.आर.- कम- अवर सचिव (कानून), हरियाणा सरकार।
  10. तकनीकी अधिकारी, आई.टी. सैल, गृह विभाग, हरियाणा (गृह शाखा-IV)।

जसवीर नेह

अवर सचिव, गृह (सी.)  
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव,  
हरियाणा सरकार, गृह विभाग